जनमहत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2012/341 भोपाल, दिनांकः 23 /06/2012

प्रति,

समस्त संभागीय सयुंक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश ।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश ।

विषयः—लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के कियान्वयन अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों से आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय-सीमा मे करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः—1. सचिव स्वास्थ्य का पत्र कमांक एफ 10-08/2011/17/मेडि-2, दिनांक 27 जनवरी 2012,क्रमांक एफ 10-08/2011/17/मेडि-2, दिनांक 27 जनवरी 2012 एवं पत्र कमांक एफ 10-08/2011/17/मेडि-2, दिनांक 01. फरवरी 2012 ।

2. स्वास्थ्य आयुक्त का पत्र कमांक 04/समन्वय/12/82 दिनांक 07.03.2012.
3. संचालनालय पत्र कमांक 04/समन्वय/2012/141-42 दिनांक 12 अप्रेल 2012, कमांक 04/समन्वय/2012/125 दिनांक 02 अप्रेल 2012 कमांक 04/समन्वय/2012/क्यू-1 दिनांक 17.05 2012. कमांक 04/समन्वय/ 2012/ 302 दिनांक 07 जून 2012 क्रमांक 04/समन्वय/2012/315 दिनांक 13 जून 2012 एवं कमांक 04/समन्वय/2012/325 दिनांक 15 जून 2012.

MIS
23/6/12

-----0000-----

विषयान्तर्गत में आपको अवगत है कि प्रदेश में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 03 योजनाऐं (सेवा कमांक 12.1- राज्य बीमारी सहायता निधि, सेवा कमांक 12.2 " विकलांगता प्रमाणपत्र एवं, सेवा कमांक 12.3 "दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना) " सम्मिलित है ।

2. अधिनियम के कियान्वयन के संबंध मे राज्य स्तर (मंत्रालय एवं संचालनालय) से संदर्भित दिशा निर्देश पत्र स्वास्थ्य विभाग के संभागीय व जिला अधिकारियों को भेजे गये है । आपसे अनुरोध **है कि उपरोक्त सदंर्भित सभी पत्रों की संकलित प्रतियों का एक फोल्डर उपयोग के लिए आप अपने पास रखें तथा सभी पत्रों का अच्छे से अध्ययन कर लेवें । ऐसा करने से अधिनियम के कियान्वयन में आपको सुगमता होगी ।**

3. सचिव स्वास्थ्य के सदंर्भित पत्रों मे लोक सेवा प्रदाय गांरटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित 03 योजनाओं के सम्बन्ध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है ।

4. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 07.03.2012 में अधिनियम के कियान्वयन एवं योजना अन्तर्गत प्रकरणों की रिर्पोट नियमित रूप से राज्य स्तर पर भेजने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश दिये गये है ।

5. संचालनालय के उपरोक्त सदंर्भित पत्रों में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी लोक सेवा प्रदाय गांरटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत क्या क्या गतिविधियां/कार्यवाही की जाना है, इसके संबंध में है।

6. <u>उपरोक्त सभी संदर्भित पत्रों को जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियो (बी.एम.ओ.) को भी प्रदायं करायें जावें । बी.एम.ओ इनपत्रों की एक–एक प्रतियां अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपने पास रखेगें तथा इनका अध्ययन भी करेगें</u> ।

7. लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के समुचित कियान्वयन हेतु निम्न अंकित बिन्दुओं कें पालन / कियान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावें :–

- सभी पदाभिहित व अपीलीय अधिकारियों का नाम, तथा कार्यालय मे उपलब्ध कम्प्युटर की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल संचालनालय को भेजें । इसके साथ सभी पदाभिहित व अपीलीय अधिकारियों के सहायकों की जानकारी, निर्धारित प्रपत्र में तत्काल भेजें ।
- सभी पदाभिहित व अपीलीय अधिकारियों तथा उनके सहायकों को कम्प्यूटर का बुनियादि ज्ञान (प्रशिक्षित) होना अतिआवश्यक है। इसके लिए आवश्यकतानुसार जिला ई गर्वेन्स सोसायटी द्वारा 5 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया जावे अथवा प्रथक से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है ।
- अधिनियम के कियान्वयन हेतु जिला लोक सेवा प्रबंधन अधिकारी से सदैव–सतत सम्पर्क बनायें रखें तथा उनके मार्गदर्शन मे आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करे। इसी प्रकार स्थानीय लोक सेवा केन्द्र प्रभारी के साथ भी सम्पर्क बनाये रखें ।
- सभी पदाभिहित व अपीलीय अधिकारी, अपना यूजर्स आई. डी. तैयार कर इसकी जानकारी जिले के लोक सेंवा प्रबंधन अधिकारी व संचालनालय को देंवे। इसी प्रकार सभी पदाभिहित व अपीलीय अधिकारी अपने अपने भौगोलिक, कार्यक्षेत्र की जानकारी जिले के लोक सेंवा प्रबंधन अधिकारी व संचालनालय को उपलब्ध करायेगें । इसकी जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रमाणपत्र मे भेजें ।
- सभी पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारी को अपने स्तर से एन.आई.सी. के माध्यम से डिजीटल हस्ताक्षर तैयार कराये जाने है ।
- सभी पदभिहित एवं अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर व नेट सेवाऐं लगातार (24X7) चालू रखी जावें ।
- प्रदेश में लोक सेवा अधिनियम 2010 की आनलाईन सेवायें 15 अगस्त, 2012 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।
- लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आनलाईन आवेदनपत्रों पर समय सीमा में पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारी आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- निर्धारित प्रपत्र तीनों योजनाओं की मासिक जानकारी, आनलाईन, ई–मेल पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में नियमित रूप से भेजे ।
- आवश्यक हो तो इन्टरनेट सेवा हेतु प्रदेश में उपलब्ध (SWAN) State Wide Area Network सेवा का उपयोग किया जा सकता है ।
- पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारी तथा उनके सहायकों को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित साफ्ट वेयर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण सूचना एवं प्रोधोगिकी विभाग (आई.टी) के द्वारा दिया जावेगा ।

- विषयान्तर्गत में जारी समस्त संदर्भित दिशा निर्देश पत्र स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट (http://www.mp.gov.in/health/) पर (Order file) में उपलब्ध है ।

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का पालन नही करने की स्थिति में संबधितों के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही/आर्थिक दण्ड का प्रावधान है । अतः इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नही बरती जावे । उपरोक्त उल्लेखित एवं संचालनालय के संदर्भित पत्रों के संबंध में संचालनालय को अधोहस्ताक्षरकर्ता के ई–मेल bnchauhan@mp.nic.in पर भेजना सुनिश्चित करे।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संयुक्त संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/समन्वय/ 2012/342

भोपाल, दिनांकः 23/06/2012

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (प्रशिक्षण)/संचालक, चिकित्सा सेवायें/संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय ।
5. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
7. समस्त ब्लाक मेडिकल ऑफिसर, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश